रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062022-236351
CG-DL-E-06062022-236351

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2475] नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 2022/ज्येष्ठ 16, 1944
No. 2475] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 2022/JYAISHTHA 16, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

का.आ. 2602(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9क की उपधारा (8क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट करती है कि,—

(क) अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (8क) में निर्दिष्ट पात्र विनिधान निधि दशा में,—

(i) अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (3) के खंड (ड.), खंड (च) और खंड (छ) में विनिर्दिष्ट शर्तें लागू नहीं होंगी;

(ii) अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (3) का खंड (ट) निम्नलिखित रीति में उपांतरित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ट) निधि, भारत में किसी व्यक्ति के दिन-प्रतिदिन की संक्रियाएं नहीं करेगा या भागीदारी नहीं करेगा और ऐसे व्यक्ति में विनिधान को सुरक्षित रखने के मॉनीटरी तंत्र के इस प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यकारी निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भी है, को भारत में ऐसे व्यक्ति के दिन-प्रतिदिन की संक्रियाओं में भागीदारी के रूप में नहीं समझा जाएगा;";

(ख) अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (8क) में निर्दिष्ट पात्र निधि प्रबंधक के लिए, अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (4) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों को निम्नलिखित रीति में उपांतरित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) व्यक्ति, अंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन यथासूचित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी विपणन मध्यवर्ती) विनियमन 2021 या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए ऐसे अन्य विनियमों के अनुसार पोर्ट फोलियो प्रबंधक या विनिधान सलाहकार के रुप में रजिस्ट्रीकृत है;"।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 59/2022/फा. सं. 370142/11/2022-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2022

S.O. 2602(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8A) of section 9A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby specifies that in case of an,—

(a) eligible investment fund referred to in sub-section (8A) of section 9A of the Act, the conditions specified in,—

(i) clause (e), clause (f) and clause (g) of sub-section (3) of section 9A of the Act shall not apply;

(ii) clause (k) of sub-section (3) of section 9A of the Act shall be modified in the following manner, namely:-

"(k) the fund shall not carry on, or participate in, the day to day operations of any person in India and for this purpose the monitoring mechanism to protect the investment in such person including the right to appoint directors or executive director shall not be considered as participation in day to day operations of such person in India;";

(b) eligible fund manager referred to in sub-section (8A) of section 9A of the Act, the conditions specified in clause (b) of sub-section (4) of section 9A of the Act shall be modified in the following manner, namely:—

"(b) the person is registered as a portfolio manager or an investment advisor in accordance with the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulation 2021 as notified under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) or such other regulations made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);".

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 59/2022/F. No. 370142/11/2022-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.06 22:09:46 +05'30'